अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1. उदयसिह पुत्र दानसिह जाति राजपूत निवासी केराल तहसील शिवगंज	बनाम	1–5 परवतसिह वगैरा पुत्र नाथूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण केराल 6–कुसुमकंवर पुत्री नाथूसिह पत्नि जबरसिह निवासी सिकवाडा जालोर. .7–भंवरकुंवर पुत्री नाथूसिंह पत्नि जोरसिंह निवासी हरिपुर (सोजत) **स्व0गुमानसिंह के कायम मुकाम** 8/1 – 8/5 लक्ष्मणसिह वगैरा पिसरान गुमानसिह जातियान राजपूत निवासीगण केराल 8/6.सुगनकुंवर पुत्री गुमानसिंह पत्नि रणजीतसिंह राजपूत निवासी बलाना तहसील सुमेरपुर 8/7– चंदाकुंवर पुत्री गुमानसिह पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गोवर्धन विलास उदयपुर 9–मोहनकुंवर पुत्री नरसिंह पत्नी सुजानसिंह राजपूत नि0 बलाना तह0 सुमेरपुर 10–बाबूसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि0 केराल 11–तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या ~~08/2021~~
37/2018

निर्णयः–

दिनाक 03.02.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.01.2021 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/राजस्व/2021/668 दिनाक 19.02.2021 के द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा केराल पटवार हल्का रोवाडा तहसील शिगंज की जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता सं0 10 के खसरा नम्बर 80/178, 81, 82, 84, 85, 86 किता 6 कुल रकबा 37–07 बीघा भूमि का मौका व खातेदारों के जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से अनुसार विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया। जिसके संबंध में वकील वादी द्वारा विवादग्रस्त आराजी में शेष खातेदार जो बंटवाडा प्रस्ताव के बिन्दु सं0 02 में दर्ज है। उनका भी रेकर्ड में दर्ज 1/3, 1/3 हिस्सा अनुसार बंटवाडा करवाने का निवेदन किया जिस पर मूल ही बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार शिवगंज को नये सर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार शिवगंज द्वारा अपने पत्र कमांक/राज/26 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा अवगत करवाया गया कि बंटवाडा प्रस्ताव बिन्दु संख्यां 2 के खातेदार अधिकांश बाहर रहते है। मौके पर उपस्थित नहीं होने से मौके पर कब्जा काश्त की जानकारी के अभाव में पुनः नये सर किया जाना संभव नहीं है। एवं पूर्व में तैयार बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार ही फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। तहसीलदार शिवगंज का उक्त निवेदन स्वीकार किया जाकर वकील वादी की ओर से प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने के कारण एक तरफा बहस सुनी गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारो के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिनांक 19.02.2021 को पेश किया जो वाद पक्षकारो का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को [illegible] के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसील[illegible] द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग मा[illegible] करे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 03.02.2022 को निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

क्रमांक 72
5/2/2022

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. उदयसिह पुत्र दानसिह जाति राजपूत निवासी केराल तहसील शिवगंज	**बनाम**	1–5 परबतसिह वगैरा पुत्र नाथूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण केराल 6–कुसुमकंवर पुत्री नाथूसिह पत्नि जबरसिह निवासी सिकवाडा जालोर. .7–भंवरकुंवर पुत्री नाथूसिंह पत्नि जोरसिंह निवासी हरिपुर (सोजत) **स्व0गुमानसिंह के कायम मुकाम** 8/1 – 8/5 लक्ष्मणसिह वगैरा पिसरान गुमानसिह जातियान राजपूत निवासीगण केराल 8/6.सुगनकुंवर पुत्री गुमानसिंह पत्नि रणजीतसिंह राजपूत निवासी बलाना तहसील सुमेरपुर 8/7– चंदाकुंवर पुत्री गुमानसिह पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गोवर्धन विलास उदयपुर 9–मोहनकुंवर पुत्री नरसिंह पत्नी सुजानसिंह राजपूत नि0 बलाना तह0 सुमेरपुर 10–बाबूसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि0 केराल 11–तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।

वाद संख्या– 37/2018

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

दिनाक 03.02.2022

पत्रावली पेश हुई। मौजा केराल पटवार हल्का रोवाडा तहसील शिवगंज की जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता सं0 10 खसरा नम्बर 80/178, 81, 82, 84 ,85, 86, किता 6 कुल रकबा 37–07 बीघा भूमि का विभाजन किये जाने के संबंध में तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार कर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है। तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि का संलग्न अनुमोदित बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा में प्रदर्शित ब रंग के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। अनुमोदित बंटवाड प्रस्ताव नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

मुद्दई	रूपया/पै.. रूपया/पैसे	मुद्दायलाह	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टा[illegible] [illegible] वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	–:शून्य:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

7/1
5/2/2022

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)